

वन विभाग, हरियाणा सरकार,
कार्यालय वन संरक्षक, दक्षिणी परिमंडल, गुड़गांव
वन परिसर, सोहना रोड़, नजदीक न्यायालय परिसर, गुड़गांव, दूरभाष - 0124-2320981

कमांक: - 1705

दिनांक: - 26-08-19

सेवामे: -


वन मण्डल, अधिकारी,
नूंह।
(नाम द्वारा)

विषय: - Diversion of 3.35 ha. of forest land for laying drinking water pipeline (DI Pipeline) of size 200, 300, 600 mm for supply of drinking water to various village Ranyala, Agon, Hasanpur, Bilonda, Kolgaon & Sakras etc. under forest division & Distt. Mewat-Nuh.

संदर्भ आपके कार्यालय का पत्र कमांक 582 दिनांक 5.8.2019

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में लिखा जाता है कि उक्त केस का निरीक्षण निम्नहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 21.8.2019 को मौके पर किया गया, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यूजर एजेन्सी द्वारा नूंह-अलवर सड़क तथा फिरोजपुर-घाटा सड़क का कार्य मौके पर पूरा किया जा चुका है। आपने प्रस्ताव भेजते समय यह अवगत नहीं करवाया गया कि यूजर एजेन्सी द्वारा एफ0सी0ए0 1980 की मौके पर उलंघना की गई है। आपने इस कार्यालय को गुमराह किया है। अतः आप अपनी स्थिति एक सप्ताह के अन्दर-2 स्पष्ट करें। अतः केस मूलरूप में वापिस भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि एफ0सी0ए0 1980 की उलंघना बाबत केस पुनः बनाकर इस कार्यालय को भेजें।

संलग्न/मूल प्रस्ताव।


वन संरक्षक, दक्षिणी परिमंडल,
गुड़गांव।